न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 104/2024 निर्णय दिनांकः 23.5.2024
ऑनलाईन नम्बर 2024/223

1. कृष्णा देवी 2. बबलू देवी 3. उम्मेदनाथ 4. किरण उर्फ करणा 5. तोलूनाथ पुत्र/पुत्रीयां रणजीतनाथ जाति नाथ निवासी माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री मदनलाल स्वामी अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम व धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना—पत्र निम्नलिखित आधारो पर सादर प्रस्तुत हैं कि प्रार्थीगण ग्राम माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के स्थायी निवासीगण हैं । प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 303 तादादी 6.6300 हैक्टेयर रोही ग्राम माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। वादगत खेतों में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/6—1/6 हिस्सा स्थित है। वादगत खेत के पूर्व खसरा नम्बर 177 क्षेत्रफल 26 बीघा 4 बिस्वां की खातेदारी प्रार्थीगण के पिता रणजीतनाथ के नाम दर्ज थी। प्रार्थीगण के पिता रणजीतनाथ कि मृत्युपरान्त वादगत खेत की विरास्तन खातेदारी जरिये इंतकाल संख्या 648 से प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की माता बजीरादेवी के नाम से दर्ज हो गयी। प्रार्थीगण के पिता की मृत्युपरान्त वादगत खेत का विरास्तन इंतकाल दर्ज किया गया तब राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या 3 व 5 का सही नाम उमेदनाथ पुत्र रणजीतनाथ व तोलूनाथ पुत्र रणजीतनाथ दर्ज कर दिया गया तथा प्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 का घर में बोलता नाम क्रमशः प्रकाश, प्रमेश्वरी, किरण दर्ज कर दिया। तत्पश्चात वादगत खेत की जमाबन्दी सम्वत् 2063 दर्ज करते समय प्रार्थीगण के पिता का नाम रणजीतनाथ की जगह रणजीनाथ अंकित कर दिया गया, तथा प्रार्थी संख्या 1 के नाम के आगे पुत्री की जगह पुत्र अंकित कर दिया गया एवं प्रार्थी संख्या 5 का नाम तोलूनाथ की जगह नोलूनाथ अंकित कर दिया। प्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 4 व 5 का राजस्व रिकार्ड में नाम क्रमशः प्रकाश पुत्र रणजीनाथ, प्रमेश्वरी पुत्री रणजीनाथ, उम्मेदनाथ पुत्र रणजीनाथ, किरण पुत्री रणजीनाथ, नोलूनाथ पुत्र रणजीनाथ दर्ज हैं जो गलत अंकित हैं, प्रार्थीगण का वास्तविक व सही नाम क्रमशः कृष्णादेवी पुत्री रणजीतनाथ, बबलूदेवी पुत्री रणजीतनाथ, उम्मेदनाथ पुत्र रणजीतनाथ, किरण उर्फ करणा देवी पुत्री रणजीतनाथ, तोलूनाथ पुत्र रणजीतनाथ हैं जो प्रार्थीगण के सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम व वल्दीयत शुद्ध दर्ज नही होने से प्रार्थीगण को के.सी.सी. ऋण लेने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई आ रही है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करवाकर अपना नाम कृष्णादेवी पुत्री रणजीतनाथ, बबलूदेवी पुत्री रणजीतनाथ, उम्मेदनाथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:54:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पुत्र रणजीतनाथ, किरण उर्फ करणा देवी पुत्री रणजीतनाथ, तोलूनाथ पुत्र रणजीतनाथ अंकित करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण वादगंत खेत के खातेदार होने से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध अंकित करने हेतू अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्ध दर्ज करने से इन्कार कर दिया । अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेतों के खातेदार कृषक होने से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने आधार प्राप्त है। प्रार्थीगण ग्राम माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के स्थायी निवासीगण हैं एवं वादगत खेत ग्राम माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की रोही में स्थित हैं इसलिए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फिस पर एवं हर प्रकार से अन्दर मियांद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 303 क्षेत्रफल 6.6300 हैक्टेयर रोही ग्राम माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम कृष्णादेवी पुत्री रणजीतनाथ, बबलूदेवी पुत्री रणजीतनाथ, उम्मेदनाथ पुत्र रणजीतनाथ, किरण उर्फ करणा देवी पुत्री रणजीतनाथ, तोलूनाथ पुत्र रणजीतनाथ दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावें ।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार करन में आपति नहीं होने व प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 303 क्षेत्रफल 6.6300 हैक्टेयर रोही ग्राम माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम कृष्णादेवी पुत्री रणजीतनाथ, बबलूदेवी पुत्री रणजीतनाथ, उम्मेदनाथ पुत्र रणजीतनाथ, करणा पुत्री रणजीतनाथ, तोलूनाथ पुत्र रणजीतनाथ जाति जोगी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 23.9.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:54:59 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ